

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बडजलास :- प्रकाश राजपुरोहित (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 04/2024

राजस्थान मरुघरा ग्रामीण बैंक द्वारा प्रायोजित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय
जयपुर- 1,274 गुरु जम्बेश्वर नगर, गांधीपथ, वैशालीनगर जयपुर

(प्रार्थी वित्तीय संस्था)

बनाम

श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहनसिंह बडगुर्जर (ऋणी)

पता - ए- 150 तीरूपति विहार, लोहामंडी रोड, माचडा जिला जयपुर राजस्थान

(अप्रार्थी)

The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act. 2002

निर्णय

दिनांक :- 28.5.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी विजेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह बडगुर्जर को कुल 3.25.000,- रुपये दिनांक 03.07.2017 को स्वीकृत की गई। उक्त ऋण की सिक्योरिटी पेटे अप्रार्थीगण द्वारा अपनी अचल सम्पति आवासीय सम्पति प्लॉट न. 111 रॉयल ग्रीन वैली ग्राम कोटजेवर, तहसील, मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू जिसका क्षेत्रफल 162.50 वर्गगज पर प्रार्थी के यहां मोरगेज किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अनुबंध पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं किये जाने से खाते को दिनांक 28.10.2019 को विधिनुसार एनपीए घोषित किया गया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.11.2019 रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)



प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
पत्रावली नवगठित जिला दूदू के क्षेत्राधिकार की होने से न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के यहां से इस न्यायालय में प्राप्त होने से पुनः दर्ज रजिस्टर की गई।

वित्तीय संस्था के विद्वान अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभाँती अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को 3,25,000/- रुपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.11.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 14 के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी विजेन्द्र सिंह पुत्र मोहनसिंह बडगूर्जर (ऋणी) की बंधक सम्पत्ति आवासीय सम्पत्ति प्लॉट न0 111, रॉयल ग्रीन वैली, ग्राम कोटजेवर, तहसील, मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू क्षेत्रफल 162.50 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक दूदू को प्रेषित कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु सम्बंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबंद करें। आदेश की प्रति हस्र कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फ़ैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 28.5.2024 को सरे इजलास सुनाया।

प्रकाश राजपुरोहित

जिला क्लर्क

दूदू (राज0)